

प-467/अ.जा./SME

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(15)खान/ग्रुप-1/2000

जयपुर, दिनांक 30 APR 2018


—: आदेश :-

खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधीक्षण खनि अभियन्ता पद की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार से निर्धारित कर जारी की जाती है। इस वरिष्ठता सूची में यदि किसी अधिकारी को आपत्ती आदि हो तो सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को एवं इस विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी :-

क.सं.	नाम अधिकारी	जन्म दिनांक	चयन वर्ष
1.	श्री दीपक तंवर	25.08.1965	2002-2003
2.	श्री एम.एल. मरमट (अ.जा.)	27.06.1961	2002-2003
3.	श्री बी.एस. सोढा	08.08.1968	2009-2010
4.	श्री पी.आर. आमेटा	19.07.1965	2009-2010
5.	श्री महेश माथुर	22.01.1970	2011-2012
6.	श्री पी.एल. मीणा (अ.ज.जा.)	20.05.1965	2013-2014
7.	श्री वाई.एस. सहवाल (अ.जा.)	23.02.1968	2013-2014
8.	श्री राजीव चौधरी	08.01.1965	2013-2014
9.	श्री एम.एस. पालीवाल	11.11.1960	2013-2014
10.	श्री जे.के. गुरुबक्षानी	19.01.1969	2013-2014
11.	श्री जी.एस. ईन्दा	07.02.1960	2013-2014
12.	श्री एन.एस. शक्तावत	07.08.1969	2013-2014
13.	श्री अनिल खिमेसरा	04.06.1967	2013-2014
14.	श्री डी.एस. देवडा	25.06.1968	2013-2014
15.	श्री धर्मेन्द्र लौहार	27.10.1968	2013-2014
16.	श्री डी.पी. गौड	03.08.1969	2013-2014
17.	श्री एन.के. बैरवा (अ.जा.)	14.09.1972	2014-2015
18.	श्री अविनाश कुलदीप (अ.जा.)	03.09.1973	2015-2016
19.	श्री ओ.पी. काबरा	18.02.1971	2016-2017
20.	श्री अरविन्द कुमार नन्दावाना	28.06.65	2017-2018
21.	श्री प्रताप सिंह मीणा (अ.ज.जा.)	05.04.1974	2017-2018

नोट:- उक्त वरिष्ठता सूची लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई है, के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से




(नसीरुद्दीन कुरैशी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर - कृपया उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को विभागीय वेइसाईट पर अपलोड करावें/सम्बन्धित अधिकारियों को वितरित करावें ।
2. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


अनुभागाधिकारी